<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-10/2024 **दिनांक 23/10/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्याः वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.10.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 22.10.2024 को थानाध्यक्ष बरेसर मय हमराह के मा0 न्याया0 द्वारा निर्गत गैर जमानतीय वारण्ट के गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में सम्बन्धित वारंटी अभियुक्तगण 1.सुमेर राजभर पुत्र हरदेव राजभर उम्र 70 वर्ष 2. लल्लन राजभर पुत्र शिवमंगल राजभर उम्र 50 वर्ष नि0गण ग्राम रेंगा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर जो कि काफी दिनों से फरार चल रहे थे, के घर पर दबिश दी गयी तो वारण्टी अपने घर पर मौजूद मिले। जिन्हें मा0 न्याया0 द्वारा निर्गत वारण्ट दिखाकर नियमानुसार गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता-</u>

1. सुमेर राजभर पुत्र हरदेव राजभर उम्र 70 वर्ष नि0ग्रा0-रेंगा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर
2. लल्लन राजभर पुत्र शिवमंगल राजभर उम्र 50 वर्ष नि0 ग्राम रेंगा थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास</u>

मु0अ0सं0-380/17 धारा 147,149,323,336,504 भादवि

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 घनश्याम पाण्डेय मय हमराह थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

<u>02. थाना नंदगंज पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.10.2024 को थानाध्यक्ष कमलेश कुमार मय हमराह द्वारा मामूर होकर कस्बा नन्दगंज में सायं कालीन पैदल गस्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग किया जा रहा था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि चोचकपुर मोड़ के पास संतोष गुप्ता के घर तेरहवीं भोज के आयोजन में एक व्यक्ति उतावलेपन में आकर अपने पास लिए अवैध तमंचे से हवाई फायर करके चोचकपुर रोड पकड़कर भाग रहा है। मुखबिर खास कि सूचना पर अभियुक्त विशाल सिंह

उर्फ कुन्दन पुत्र चन्द्रभूषण सिंह निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को बहद ग्राम बरहपुर देशी शराब के ठेके से करीब 100 कदम पहले चोचकपुर मार्ग पर एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर मय दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2024 धारा 125 बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- विशाल सिंह उर्फ कुन्दन पुत्र चन्द्रभूषण सिंह निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर ।

<u>बरामदगी का विवरण</u>- एक अदद देशी तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर मय दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर ।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 579/2016 धारा 147, 323 भा0द0वि0 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 196/2020 धारा 323,324,506 भा0द0वि0 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 240/2022 धारा 307,323 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 192/2024 धारा 125 बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

<u>03. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 105/24 धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.10.2024 थानाध्यक्ष मय हमराह कर्म0गण के थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 105/24 धारा 108 बीएनएस बनाम हरिकेश चौहान के विवेचना के क्रम में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर ग्रा0 बाराचवर पहुँचे। जहाँ पर वांछित अभियुक्त हरिकेश चौहान पुत्र विनोद चौहान नि0 ग्राम बाराचवर मथई थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर अपने घर पर मौजूद था। जिसे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-</u>

हरिकेश चौहान पुत्र विनोद चौहान नि0ग्राम बाराचवर मथई थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 105/24 धारा 108 बीएनएस थाना बरेसर जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 07/23 धारा 323,325,504,506 भादवि थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

<u>04. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21.10.2024 को उ0नि0 शिवराज सिंह यादव मय हमराह द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान लावा बाजार थाना नोनहरा से चोरी की मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 54 AU5892 के साथ अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र राजेश राम नि0 ग्राम रानीपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया तथा थाना स्थानीय पर उक्त मोटर साइकिल की बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 169/2024 धारा 317(2),317(5) बीएनएस पंजीकृत किया

गया ।उक्त मोटर साइकिल की चोरी के सम्बन्ध में थाना मरदह में मु0अ0सं0 198/24 धारा 303(2) BNS दिनांक 02.10.2024 को पंजीकृत है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त -. .

पंकज कुमार पुत्र राजेश राम नि0ग्राम रानीपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष

बरामदगी-

- ☐ एक चोरी की मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस UP54AU5892

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 169/2024 धारा 317(2),317(5) बीएनएस थाना नोनहरा गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 198/24 धारा 303(2) BNS थाना मरदह जनपद गाजीपुर

05. थाना दिलदारनगर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना दिलदारनगर के उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार मय टीम माननीय न्यायालय ग्रामीण न्यायालय जमानियाँ गाजीपुर द्वारा फौ0मु0 1674/16 धारा 323,504 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी निरहू का पुरा थाना दिलदारनगर गाजीपुर को पेशी 22.10.2024 के अनुपालन में अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया व फौ0मु0 26546/22 धारा 323,504 भादवि से सम्बन्धित वारन्टी क्यूम खाँ पुत्र कमरूदद्दीन खाँ निवासी कुसी थाना दिलदारनगर गाजीपुर को पेशी 22.10.2024 के अनुपालन में अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी निरहू का पुरा थाना दिलदारनगर गाजीपुर
2. क्यूम खाँ पुत्र कमरूदद्दीन खाँ निवासी कुसी थाना दिलदारनगर गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 अरविन्द कुमार मय टीम थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

06. थाना कोतवाली सैदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0अं0 224/2024 धारा 191(2)/191(3)/127(2)/132/352/ 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150/151/152/153/174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण व 01 नफर बालअपचारी को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली सैदपुर में चौकी प्रभारी भितरी ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0अं0 224/2024 धारा 191(2)/191(3)/127(2)/132/352/ 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150/151/152/153/174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 से सम्बन्धित घटना में बने वीडियो से तस्दीक व सत्यापन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर व बालअपचारी को रामचरनपुर भीमापार बाजार से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण व पुलिस अभिरक्षा में लिए गये बालअपचारी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. सदानन्द पुत्र सुखम्मन निवासी ग्राम रामचरनपुर खैरा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र 60 वर्ष

2. प्रेम कुमार उर्फ प्रदीप पुत्र रामबचन निवासी ग्राम रामचरनपुर खैरा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 39 वर्ष

3.01 बालअपचारी (पुलिस अभिरक्षा में लिया गया)

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण व बालअपचारी

1.मु0अ0सं0 224/2024 धारा 191(2)/191(3)/127(2)/132/ 352/ 351(3) बीएनएस व 7 सी0एल0ए0 एक्ट व 150/151/152/153/174 भारतीय रेल अधिनियम 1989 थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. चौकी प्रभारी भितरी ओमप्रकाश यादव मय हमराह थाना कोतवाली सैदपुर जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर